संख्या-4090/37-1-2014-02/47/2014

प्रेषक,

रमा शंकर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-1 लखनऊ-दिनांक,29 जनवरी 2015

विषय- पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के खुलने एवं उनमें कार्यरत कार्मिकों के अवकाश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के खुलने एवं वहाँ कार्यरत कार्मिकों के अवकाश के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3949/37-1-2009-05/84/2008 दिनांक 30-12-2009 द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश में वेटनरी फार्मासिस्ट के अवकाश की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश में पशु चिकित्सालयों एवं सेवा केन्द्रों के खुलने का समय प्रातः 8:00 बजे एवं बन्द होने का समय 2:30 बजे निर्धारित है। शीत काल में प्रातः 8:00 बजे पशुपालकों को पशु चिकित्सालय/सेवा केन्द्र में पहुचने में कठिनाई होती है ।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में समस्त पहुलओं पर विचार करते हुये पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को निरस्त करते हुये दिनांक 01 फरवरी , 2015 से पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु एतद्द्वारा निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

(1) शीतकाल (दिनांक 01 नवम्बर से 28/29 फरवरी के मध्य दोनो तिथियों को सम्मिलित करते हुये) के अतिरिक्त अन्य सभी ऋतुओ में पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र प्रातः 8:00 बजे खुलेंगें एवं अपरान्ह 2:30 बजे बन्द होंगें।

(2) शीतकाल में (दिनांक 01 नवम्बर से 28/29 फरवरी के मध्य दोनो तिथियों को सम्मिलित करते हुये) पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र प्रातः 9:30 बजे खुलेंगें एवं अपरान्ह 4:00 बजे बन्द होंगें।

(3) पशु चिकित्सक उक्त अवधि में पहले 04 घंटे तक पशु चिकित्सालय पर विद्यमान रहकर पशुपालको को सेवायें उपलब्ध करायेंगें तथा उसके पश्चात् पशु चिकित्सालय की परिधि में आने वाले ग्रामों का रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन भ्रमण करेंगें तथा ग्राम प्रधान के पास उपलब्ध

पंजिका में इसका उल्लेख भी करेंगे। इस बीच पशु चिकित्सालय में उपलब्ध वेटनरी फार्मासिस्ट द्वारा चिकित्सालय का संचालन किया जायेगा।

(4) पशु चिकित्सालय में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अनुचर/ड्रेसर (जहां केवल एक ही अनुचर/ड्रेसर कार्यरत है) का साप्ताहिक अवकाश रविवार को होगा। रविवार को वेटनरी फार्मासिस्ट द्वारा चिकित्सालय का संचालन किया जायेगा। वेटनरी फार्मासिस्ट का साप्ताहिक अवकाश शनिवार को होगा। जिन पशु चिकित्सालयों में एक से अधिक अनुचर/ ड्रेसर है, वहां संस्था के पशु चिकित्सक द्वारा रविवार को भी कम से कम एक अनुचर/ड्रेसर की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी और इसके बदले इन्हे भी वेटनरी फार्मासिस्ट की भांति शनिवार को दिया जायेगा। सदर पशु चिकित्सालय में रविवार के अवकाश के दिन किसी अन्य पशु चिकित्सा अधिकारी की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।

(5) पशु सेवा केन्द्र में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी का साप्ताहिक अवकाश शनिवार को होगा। शनिवार को पशु सेवा केन्द्र की सेवायें उससे सम्बन्धित पशु चिकित्सालय में दी जायेंगी।

(6) अपरिहार्य परिस्थितियों, जैसे-पोस्टमार्टम, मेडिको लीगल केस, आकस्मिक चिकित्सा तथा अन्य संवदेनशील कार्यो हेतु साप्ताहिक अवकाश के दिन पशु चिकित्सक, वेटनरी फार्मासिस्ट, पशुधन प्रसार अधिकारी एवं अनुचर/ड्रेसर को बुलाया जा सकता है।

कृपया उक्त व्यवस्था के अनुसार पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रो का संचालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

रमा शंकर
विशेष सचिव

संख्या-4090(1)/37-1-2014 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त व्यवस्थानुसार पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु समय-समय पर आकंस्मिक निरीक्षण कराकर शासन को अपनी आख्या प्रेषित करे। (द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।)

2- समस्त अपर निदेशक(ग्रेड-2), पशुपालन विभाग , उ0प्र0 द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।

3- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।

4- समस्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।

5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव